



खकसी क्य लि अत , .मि कोज चकबोव फयेवम

द्वारा

ग्राम : छपका
तहसील : बस्तर
जिला : बस्तर (छ.ग.)

में

चलरकफोर फेुह बा/हख/म/म ल/व/ह/य/ल/क/व/

की स्थापना हेतु

i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkzj . k fj i ksvz

का

dk; z kyd | kj

& % cf"kr %&

NRrhl x<+ i ; kbj . k | g {k . k e . My

i ; kbkl Hkou] | DVj & 19] uok jk; ig & vVy uxj] ftyk% jk; ig %Nñxñ%

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkj . k fj i kVZ dk
dk; i kyd | kj

1-0 i fj ; kstuk fooj . k%

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़ में पैलेट प्लांट (0.8 मि. टन/ वर्ष), स्पंज आयरन उत्पादन (1 x 400 टी.पी.डी. एवं 1 x 600 टी.पी.डी. = 3,35,000 टन/वर्ष) तथा डब्ल्यू. एच. आर. बी. आधारित पावर प्लांट (25 मैगावॉट), इण्डक्शन फर्नेस इकाई (5 x 20 टन = 3,50,000 टन/ वर्ष, हॉट बिलेट्स/एम.एस. बिलेट्स के उत्पादन हेतु), रोलिंग मिल (3,00,000 टन/ वर्ष, टी.एम.टी.बार / रोल्ड प्रोडक्ट्स), एवं फ़ैरो एलॉज (1 x 12 एम.व्ही.ए. फ़ैरो मैगनीज़ या सिलिको मैगनीज़ या पिग आयरन के उत्पादन हेतु) तथा सी.एफ.बी.सी. आधारित विद्युत उत्पादन (15 मैगावॉट) इकाई युक्त मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। जिसकी स्थापना 46 एकड़ (18.62 हेक्टेयर) भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की कुल अनुमानित लागत रु 490.0 करोड़ है।

पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं क्रमवर्ती संशोधनों के अनुसार सभी प्राथमिक धातुकर्म उद्योग को "A" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र. J-11011/12/2021-IA II (I), दिनांक: 08.02.2021 द्वारा 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) प्रदान किया गया। केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित टी.ओ.आर. को समावेष्टित कर प्रस्तावित परियोजना द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन हेतु यह प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाई गई है।

नाबेट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र क्र. नाबेट/ ई.आई.ए./1922/ आर.ए./ 0149 द्वारा धातुकर्म इकाई द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु अधिकृत मे. पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद, द्वारा केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित टी.ओ.आर. को द्वारा अनुमोदित 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ई.आई.ए.) रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

, ii प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विषिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य।

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkj . k fj i kVZ dk
dk; i kyd | kj

Chñ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।

I hñ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।

Mhñ परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम एवं पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिए बजट का प्रावधान।

1-1 | a ð {ks= ds 10 fd-eh- f=T; k ds vr xlr dh i ; kbj . kh; nf"V
| s egROI w kZ LFkyka dh tkudkj h % &

संयंत्र क्षेत्र के 10 कि.मी. त्रिज्या के अंतर्गत की पर्यावरणीय परिस्थिति निम्नलिखित है

Øñ	eq[; fo' ks'krk, a / i ; kbj . kh; fo' ks'krk, a	{ks= ds ca/k ea njh@fjekdZ
1.	भूमि का प्रकार (प्रस्तावित परियोजना के लिये)	आंशिक रूप से कृषि और आंशिक रूप से असिंचित भूमि
2.	राष्ट्रीय उद्यान / वन्य जीवन अभयारण्य / बायोस्फीयर रिजर्व / टाइगर रिजर्व / हाथी गलियारा / पक्षियों के लिए प्रवासी मार्ग	निरंक
3.	ऐतिहासिक स्थान / पर्यटक महत्व के स्थान / पुरातात्विक स्थल	निरंक
4.	पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के मेमोरेन्डम दिनांक: 13/01/2010 के अनुसार गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र	निरंक तथा प्रस्तावित क्षेत्र माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 10.07.2019 में दिये गये क्षेत्रों में भी समाहित नहीं है।
5.	रक्षा संस्थान	निरंक
6.	निकटस्थ गाँव	सिवनीगुड़ा – 0.75 किलोमीटर
7.	निकटस्थ अस्पताल	सोनारपाल – 1.6 किलोमीटर (NW)
8.	निकटस्थ स्कूल	सोनारपाल – 1.5 किलोमीटर (NW)
9.	वन	अमदुला आरएफ (7.4 कि.मी.) एवं मधु पीएफ (7.8 कि.मी.)
10.	जल के स्रोत	मरकंडी नदी –0.25 किलोमीटर, इंद्रावती

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkj . k fj i ksvl dk
dk; i kyd | kj

Øñ	eq[; fo' ks'krk, a / i ; kbj . kh; fo' ks'krk, a	{ks= ds a?k ea njh@fj ekdZ
		नदी -7.5 किलोमीटर, नारंगी नदी -8.1 किलोमीटर बोरिया नाला - 0.38 किमी और कुछ अन्य मौसमी धाराएँ और तालाब 10 किलोमीटर के भीतर मौजूद हैं।
11.	निकटस्थ राजमार्ग	साइट से सटे NH # 43 (जगदलपुर से कोडागांव)
12.	निकटस्थ रेलवे स्टेशन	निरंक
13.	निकटस्थ बंदरगाह सुविधा	निरंक
14.	निकटस्थ हवाई अड्डा	निरंक
15.	निकटस्थ इंटरस्टेट सीमा	निरंक
16.	आईएस- 1893 के अनुसार भू-कंपीय क्षेत्र	भू-कंपीय क्षेत्र- II
17.	पुर्नस्थापन तथा पुर्नविस्थापनर (आर.एवं आर.)	चूँकि क्षेत्र में कोई बसाहट नहीं है अतः लागू नहीं होगा।
18.	न्यायलयीन वाद/ प्रस्तावित परियोजना के विरुद्ध न्यायालय मुकदमा/ परियोजना क्षेत्र एवं अथवा परियोजना के विरुद्ध किसी भी न्यायलय द्वारा दिया गया आदेश।	निरंक

1-2 i fj ; kstuk dk fol; kl] mRi knu {kerk % &

प्रस्तावित इकाई में निम्न उत्पादों का उत्पादन प्रस्तावित है:

Øñ	bdkbz ¼mRi kn½	bdkbz fol; kl	mRi knu {kerk
1.	आयरन ओर पैलेटाइजेशन प्लांट (पैलेट)	0.8 मि. टन/ वर्ष	0.8 मि. टन/ वर्ष
2.	डी.आर.आई. किलन (स्पंज आयरन)	1 x 400 टी.पी.डी. एवं 1 x 600 टी.पी.डी.	3,35,000 टन/वर्ष
3.	सी.सी.एम. युक्त स्टील मेल्टिंग शॉप (हॉट बिलेट्स/एम.एस.बिलेट्स)	5 x 20 टन	3,50,000 टन/ वर्ष
4.	रोलिंग मिल (एलडीओ के साथ 85% हॉट चार्जिंग एवं 15% सी-हीटिंग के साथ) (रोलड प्रोडक्ट्स/टीएमटी बार/कोण/ चौनल)	900 टी.पी.डी.	3,00,000 टन/ वर्ष

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kk r fu/kkj . k fj i ksv/ dk
dk; i kyd | kj

Øñ	bdkbz ¼mRi kn½	bdkbz fol; kl	mRi knu {kerk
5.	फैरो एलॉयज़ (फैरो मैग्निज या सिलिको मैग्निज या पिग आयरन)	1 x 12 एम.व्ही.ए.	फैरो मैग्निज 40,000 टन/ वर्ष ; k सिलिको मैग्निज 30,000 टन/ वर्ष ; k पिग आयरन 45,000 टन/ वर्ष
6.	पावर प्लांट— डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित	25 मेगावाट	25 मेगावाट
7.	पावर प्लांट— सी.एफ.बी.सी. आधारित	15 मेगावाट	15 मेगावाट

1-3 dPps i nkFkZ

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में निम्न पदार्थों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जावेगा

Øñ	dPps i nkFkZ	Ekk=k ¼Vu çfr o"kk½	L=ksr	i fj ogu ds k/ku	
i s½v lyk½ gr½&					
1.	आयरन ओर कॉन्सन्ट्रेट	8,96,000	एनएमडीसी, सीएमडीसी	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
2.	बेन्टोनाइट	6,400	रायपुर, छत्तीसगढ़	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
3.	लाइम स्टोन	48,000	रायपुर, छत्तीसगढ़	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
4.	कोयला (बिटुमिनस)	8,000	रायपुर, छत्तीसगढ़	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
5.	ईंधन (एन्थ्रेसाइट कोयला) या एलडीओ / एलएसएचएस	35,200 कि.ली./वर्ष	रायपुर, छत्तीसगढ़	सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
Li t vk; ju mRi knu gr½					
1.	आयरन ओर या आयरन ओर पैलेट	5,36,000 या 4,96,000	एनएमडीसी, सीएमडीसी या स्व-उत्पादन	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा या ढके हुए कन्वेयर द्वारा	
2.	डोलोमाइट	16,750	रायपुर, छत्तीसगढ़	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
3.	कोल	स्वदेशी	4,35,500	एस.इ.सी.एल./ एमसीएल ओडीसा	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkj . k fj i kV/ dk
dk; i kyd | kj

	आयातित	2,78,720	इन्डोनेशिया / दक्षिण आफ्रिका / ऑस्ट्रेलिया	समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
b. MDशकु Qu i bdkbz				
1.	स्पंज आयरन	3,35,000	स्व-उत्पादन	ढके हुए कन्वेयर द्वारा
2.	पिग आयरन	45,000	स्व-उत्पादन / रायपुर, छत्तीसगढ़	ढके हुए कन्वेयर द्वारा
3.	फैरो एलॉयज	18,000	स्व-उत्पादन / रायपुर, छत्तीसगढ़	ढके हुए कन्वेयर द्वारा
j kfyx fey grq				
1.	हॉट बिलेट्स / एम.एस.बिलेट्स एवं एम.एस.बिलेट्स (खरीदे गए)	3,00,000 17,000	स्व-उत्पादन रायपुर, छत्तीसगढ़	ढके हुए कन्वेयर द्वारा सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
2.	एलडीओ / एलएसएचएस *	35,200 कि.ली. / वर्ष	रायपुर, छत्तीसगढ़	सड़क परिवहन
*सबसे खराब स्थिति में 100 प्रतिशत खपत				

Qj ks , ykW mRi knu grq				
fl fydk efXut+mRi knu grq				
1.	मेग्निज ओर	48,900	एम.ओ.आई.एल. / ओ.एम.सी.	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
2.	फैरो मेग्निज स्लैग	18,540	स्व-उत्पादन	ढके हुए ट्रकों कन्वेयर द्वारा
3.	एल.ए.एम. कोक	11,550	छत्तीसगढ़ / आयातित (वायजेंग बंदरगाह से)	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा / समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
4.	क्वार्ट्ज	6,000	छत्तीसगढ़ / आंध्र प्रदेश	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
5.	बैग फिल्टर डस्ट	3,000	स्व-उत्पादन	ढके हुए ट्रकों कन्वेयर द्वारा
Qj ks efXut+mRi knu grq				
1	मेग्निज ओर	91,000	एम.ओ.आई.एल. / ओ.एम.सी.	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
2	एल.ए.एम. कोक	14,600	छत्तीसगढ़ / आयातित (वायजेंग बंदरगाह से)	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा / समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
3	क्वार्ट्ज	1,200	छत्तीसगढ़ / आंध्र प्रदेश	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkj . k fj i kV/ dk
dk; i kyd | kj

4	बैग फिल्टर डस्ट	6,400	स्व-उत्पादन	ढके हुए ट्रकों कन्वेयर द्वारा	
fi x vk; ju mRi knu grq					
1	हाईग्रेड आयरन ओर	66,375	छत्तीसगढ़ / ओड़ीसा	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
2	एल.ए.एम. कोक	22,050	छत्तीसगढ़ / आयातित (वायजंग बंदरगाह से)	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा / समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन	
3	लाइम स्टोन	18,450	छत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा	
h-, Q-ch-l h- vk/kkfjr fo r mRi knu grq					
1	कोल	स्वदेशी	72,600	एस.इ.सी.एल. / एमसीएल ओड़ीसा	रेल एवं सड़क परिवहन (ढके हुए ट्रकों) द्वारा
		आयातित	46,500	इन्डोनेशिया / दक्षिण आफ्रिका / ऑस्ट्रेलिया	समुद्र मार्ग / रेल एवं सड़क परिवहन
2	डोलोचर	67,000	स्व-उत्पादन	ढके हुए ट्रकों कन्वेयर द्वारा	

1-4 mRi knu cfØ; k

1-4-1 आयरन ओर पैलेटाजेशन bdkbz

आयरन ओर फाइनस को बॉल मिल में पीसा (ग्राइंड) किया जावेगा। सांद्रित पदार्थ को थिकनर तदोपरांत फिल्ट्रिंग इकाई में भेजा जावेगा। फिल्टर केक को ट्रेवलिंग ग्रेट किलन युक्त पैलेट प्लांट में भेजा जावेगा। इस प्रक्रिया द्वारा ग्रीन पैलेट का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। ट्रेवलिंग ग्रेट किलन से उत्सर्जित गैसस् को ई.एस.पी. द्वारा उपचारित कर चिमनी द्वारा वायु मण्डल में छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

1-4-2 Li at vk; ju %Mhivkj ñvkbñ½ bdkbz

रिफ्रैक्ट्री लाइन्ड रोटरी किलनों का उपयोग आयरन ओर को ठोस अवस्था में पराभव (रिड्यूस्ड) करने के लिए होता है। किलन के एक छोर पर एक सैन्ट्रल बर्नर होता है।

कोयला और आयरन ओर लगातार किलन में डाले जाते हैं जहाँ ईंधन के साथ-साथ रिडक्टेंट के रूप में दोहरी भूमिका होती है। सल्फर का छानने के लिए डोलोमाइट डाला जाता है। किलन के अंदर उसकी पूर्ण लम्बाई के बराबर दूरी पर एक एयर ट्यूब उपस्थित होती है जिसका उपयोग किलन के अन्दर तापमान नियंत्रण हेतु किया जाता है तथा इन ट्यूब्स में गर्म हवा का आवश्यकता अनुसार प्रवाह किया जाता है फलस्वरूप तापमान नियंत्रण होता है। कोयले के जलने से कार्बन मोनोआक्साइड का उत्सर्जन होता है जो

लौह अयस्क का पराभव (रिडक्शन) करती है परिणामतः स्पंज आयरन का उत्पादन होता है। रोटरी किलन के मुख्यतः दो भाग – प्रीहीटिंग ज़ोन एवं रिडक्शन ज़ोन में विभाजित होता है। प्रीहीटिंग ज़ोन की लम्बाई किलन की लम्बाई का 30: से 50: तक होती है। इस क्षेत्र में चार्ज के नमी एवं वोलेटाइल मैटर का वाष्पीकरण होता है। कोयले में उपस्थित वोलेटाइल मैटर किलन की गर्माहट में जलने लगते हैं जिसके कारण किलन में उर्जा उत्पन्न होती है। यह उर्जा किलन के घूमने से सम्पूर्ण चार्ज में स्थांतरित होती है। प्रीहिटेड चार्ज लगभग 1000^o से. पर रिडक्शन ज़ोन में आती है। रिडक्शन ज़ोन का तापमान लगभग 1050^o से. तक नियंत्रित किया जाता है। इस तापमान पर लौह अयस्क का ठोस अवस्था में पराभव (रिडक्शन) करने में समर्थ होता है। पराभव (रिडक्शन) के बाद आयरन आक्साइड मैटलिक आयरन में रूपांतरित हो जाता है।

यहाँ से गर्म मैटलिक आयरन हीट एक्वेन्जर में स्थानांतरित किया जाता है। हीट एक्वेन्जर में पदार्थ को 160^o से. तक ठण्डा किया जाता है। कूलर डिस्चार्ज में स्पंज आयरन लम्प्स, स्पंज आयरन फाइन्स और चारकोल होता है। यहाँ से मैग्नेटिक सेपरेटर द्वारा मैग्नेटिक्स एवं नॉन मैग्नेटिक्स अलग-अलग किये जाते हैं। गर्म उत्सर्जित गैसों को वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में ले जा कर ऊर्जा का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है, यहाँ से ई.एस. पी. द्वारा उपचारित कर सी.पी.सी.बी. के नियमानुसार ऊँचाई वाली चिमनी द्वारा वायु मण्डल में छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

1-4-3 LVhy eFYVx 'kkW bdkbl

स्पंज आयरन को स्क्रेप एवं फ्लक्ससेस के साथ स्टील मैल्टिंग शॉप में गलाया जाता है जिससे शुद्ध तरल स्टील का उत्पादन होता है आकार के मोल्ड में डाल कर या कंटेन्युअस कास्टर से इंगॉट या बिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। प्रस्तावित परियोजना में 3,00,000 हॉट बिलेट्स / एम.एस. बिलेट्स के उत्पादन हेतु 20 टन क्षमता की 5 इन्डक्शन फर्नेस की स्थापना प्रस्तावित है। एल.आर.एफ. से प्राप्त हॉट मैटल को रोलड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु सीधे बिना री-हीटिंग फर्नेस की रोलिंग मिल में भेजा जावेगा अथवा इंगॉट या बिलेट्स री-हीटिंग फर्नेस युक्त रोलिंग मिल में भेजा जावेगा।

1-4-4 jkfyx fey

सीसीएम में उत्पादित हॉट बिलेट्स को रोलिंग प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए सीधे हॉट चार्जिंग विधि के माध्यम से रोलिंग मिल में भेजा जाएगा (या) रोलिंग मिल में ब्रेक डाउन होने की स्थिति में ठण्डे एमएस बिलेट्स को फिर से री हीटिंग फर्नेस में भेजा जाएगा और

फिर रोलिंग मिल को भेज दिया गया. री हीटिंग फर्नेस में ईंधन के रूप में एलडीओ / एलएसएचएस का उपयोग किया जावेगा। परियोजना बार एवं राउंड मिल लगाया जाना प्रस्तावित है जिसकी उत्पादन क्षमता 3,00,000 टन प्रति वर्ष होगी, जिससे रोलड प्रोडक्ट्स/टीएमटी बार/कोण/ चौनल का उत्पादन किया जावेगा।

1-4-5 Qjks , ykW t+mRi knu bdkbz

प्रस्तावित परियोजना में 12 एम.वी.ए. (प्रत्येक) वाले 2 सबमर्ज इलेक्ट्रिक अक्र फर्नेस का लगाया जाना प्रस्तावित है। सबमर्ज आर्क फर्नेस में उच्च वोल्टेज के विद्युत प्रवाह कर कोक, क्वार्ट्ज एवं डोलोमाइट के साथ मैगनीज़ ओर की स्मैल्टिंग की जाती है जिससे फ़ैरो एलॉयस् का उत्पादन किया जाता है।

1-4-6 fo | r mRi knu

oLV ghV fj dojh ckW yj }kj k %&

1 x 400 टी.पी.डी. एवं 1 x 600 टी.पी.डी. क्षमता की डी.आर.आई. किलनों से उत्सर्जित फ्लू गैसों को वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलरों में ले जा कर 25 मेगावॉट (1 x 15 मैगावॉट एवं 1 x 10 मैगावॉट) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में ऊर्जा को पुर्नउपयोग कर, यहाँ से ई.एस.पी. द्वारा उपचारित कर चिमनियों द्वारा वायु मण्डल में छोड़ा जाना प्रस्तावित है।

, Qñchñl hn CkkW yj }kj k %&

कोयला (स्वदेशी/ आयातित) एवं डोलोचार का उपयोग सी.एफ.बी.सी बॉयलर में 15 मेगावॉट विद्युत उर्जा का उत्पादन हेतु किया जावेगा। उत्सर्जित फ्लू गैसों को उच्च दक्षता वाले ई.एस.पी. से उपचारित कर चिमनी द्वारा वातावरण में छोड़ी जावेगी।

1-5 ty dh vko' ; drk

प्रस्तावित परियोजना के लिए 1600 किलो लीटर/ दिन जल की आवश्यकता होगी। जिसमें आयरन ओर पैलेटाजेशन प्लांट, डी.आर.आई. किलन, इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल एवं पावर प्लांट हेतु मेकअप वाटर तथा घरेलू आवश्यकता शामिल है। पावर प्लांट में जल की आवश्यकता को कम करने के लिए एयर कूल्ड कंडेसनर स्थापित किये जावेंगे।

प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक जल पास की नदी से लिया जाएगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB), छत्तीसगढ़ सरकार ने जल के आवंटन के लिए आश्वासन पत्र जारी किया है।

ty dh vko' ; drk

Øñ	fooj . k	vko' ; d ty dh Ekk=k ¼?ku ehVj @fnu½
1.	पैलेट प्लांट मेकअप के लिए	380.0
2.	डीआरआई मेकअप के लिए	125.0
3.	एसएमएस मेकअप के लिए	150.0
4.	रोलिंग मिल मेकअप के लिए	115.0
5.	फैरो एलॉयज मेकअप के लिए	35.0
6.	विद्युत उत्पादन मेकअप के लिए	
	• कूलिंग टॉवर मेक-अप	245.0
	• बायलर मेक-अप	480.0
	• डीएम प्लांट का पुनर्जीवन जल	45.0
7.	घरेलू	25.0
	dy	1600.0

1-6 nf"kr ty mRl tū

- प्रस्तावित परियोजना से कुल दूषित जल उत्सर्जन मात्रा 271 घन मीटर प्रति दिन होगी।
- क्लोज्ड-सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाया जावेगा जिससे पैलेट प्लांट, डी.आर.आई. किलनों, एस.एम.एस. इकाई, फैरो एलॉयज एवं रोलिंग मिल इकाईयों द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा।
- पावर प्लांट में एयर कूल्ड कंडेन्सर प्रदान किया जावेगा जिससे जल खपत में काफी कमी आयेगी। अतः दूषित जल के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी।
- पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित प्रवाह का उपचार ई.टी.पी. में किया जावेगा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल (CECB) द्वारा प्रदत्त मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित कर तत्पश्चात् इसका उपयोग डस्ट सप्रेसन, ऐश कंडिशनिंग एवं सिंचाई हेतु किया जावेगा।
- घरेलू दूषित जल का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जावेगा।
- शून्य निस्तारण स्थिती बनाई रखी जावेगी।

प्रस्तावित परियोजना में उत्पन्न दूषित जल की मात्रा का ब्रेकअप निम्नप्रकार है।

निष्कर्ष त्रय द्वािक

Øñ	L=kr	निष्कर्ष त्रय द्वािक ¼?ku ehVj @fnu½
1.	विद्युत उत्पादन	
	• कूलिंग टॉवर ब्लोडाउन	62.0
	• बायलर ब्लोडाउन	144.0
	• डीएम प्लांट का पुनर्जीवन जल	45.0
2.	घरेलू दूषित जल	20.0
	dy	271.0

1-7 निष्कर्ष त्रय द्वािक xqoRrk

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:
निष्कर्ष त्रय द्वािक xqoRrk

eki nM	Lkæ			
	dlyx Vkoj CykMkmu	Mhñ, eñ lykV	ckW yj CykMkmu	?kjsyW निष्कर्ष त्रय
पी.एच.	7.0 से 8.0	5.0 से 10.0	9.5 से 10.5	7.0 से 8.5
बी.ओ.डी. (मि.ग्रा./लीटर)	200 से 250
सी.ओ.डी. (मि.ग्रा./लीटर)	300 से 400
टी.डी.एस. (मि.ग्रा./लीटर)	1000	5000 से 6000	1000	800 से 900
ऑयल एवं ग्रीस (मि.ग्रा./ली.)	..	10	..	5 से 10
टी.एस.एस. (मि.ग्रा./लीटर)	150 से 200

2-0 i ; kbj .k dk fooj .k%

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेषीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु एवं समाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

2-1 i fj oशत; ok; q xq koRrk

1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक 8 स्टेशनों एवं 20 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक 1 स्टेशन पर पी.एम_{2.5}, पी.एम₁₀, एस.ओ₂, एन.ओ_x एवं सी.ओ. हेतु

परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

Øekad	fooj . k	:	kær
1.	पी.एम. _{2.5}	:	20.7 से 37.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी.एम. ₁₀	:	35.5 से 64.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3.	एस.ओ. ₂	:	6.0 से 11.4 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन.ओ. _x	:	6.5 से 17.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर
5.	सी.ओ.	:	365 से 977 माइक्रोग्राम/घन मीटर

2-2 ty xq koRrk

2-2-1 | rgh ty dh xq koRrk

मार्कडी नदी (0.25 किलोमीटर), इंद्रावती नदी (7.5 किलोमीटर), नारंगी नदी (8.1 किलोमीटर), बोरिया नाला (0.38 किलोमीटर) 10 किलोमीटर के भीतर बह रही है। सतही जल की गुणवत्ता को जांचने के लिए मार्कडी नदी के 2 सैम्पल, 60 मीटर अपस्ट्रीम एवं 60 मीटर डाउनस्ट्रीम, इंद्रावती नदी से 1 सैम्पल, नारंगी नदी से 1 सैम्पल, बोरिया नाला से 1 सैम्पल, बालेंगा गांव के पास तालाब से 1 सैम्पल, बस्तर गांव के पास तालाब से 1 सैम्पल एकत्र किये गये हैं और इनका विभिन्न मापदंडों के लिए विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के परिणाम से ज्ञात होता है कि सभी नमूने बी.आई.एस. : 2296 के मानदण्डों के अनुरूप हैं।

2-2-2 Hkwt y dh xq koRrk

आसपास के गाँवों से 8 अलग अलग जगहों से कुँए तथा बोर से सैम्पल लिये गए तथा जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर सभी सैम्पल बी.आई.एस.: 10500 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

2-3- /ofu Lrj

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 45.72 डी.बी. (ए.) से 59.95 डी.बी. (ए.) पाया गया है।

3-0 i ; kbj . kh; çHkkoka dk vkidyu rFkk jksdFkke

3-1 ok; q xq kORRkk i j çHkkoka dk vkidyu

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साईडस् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.एस.टी.-3) का उपयोग, भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। मैट्रियोलौजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया।

प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10) की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 1.69 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित स्थल से 1500 मीटर पर पाई जावेगी।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी.एम. की सांद्रता में अधिकतम 0.99 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

प्रस्तावित परियोजना द्वारा एस.ओ.2 की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 19.38 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित चिमनी से 1500 मीटर पर पाई जावेगी।

प्रस्तावित परियोजना द्वारा एन.ओ._x की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 8.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित चिमनी से 1500 मीटर पर पाई जावेगी।

एन.ओ._x में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 6.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 4.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

çLrkfor i fj ; kstuk ds dkj . k gq vf/kdre l kærk ds 'kq) i fj . kke çLrkfor

en	i h-, e-10 (g/m ³)	, l ñvkQ (g/m ³)	, uñvksx (g/m ³)	l h-vks (g/m ³)
अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वास्तविक सांद्रता	64.6	11.4	17.8	977
प्रस्तावित परियोजना के संचालन के दौरान सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	1.69	19.38	8.5	निरंक
प्रस्तावित परियोजना के वाहनों के संचालन स्वरूप सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.99	निरंक	6.9	4.7
प्रस्तावित परियोजना विस्तार के संचालन के दौरान सांद्रता के शुद्ध परिणाम	67.28	30.78	33.2	981.7
राष्ट्रीय परिवेशीय वा; q xq koRrk ds ekud	100	80	80	2000

प्रस्तावित परियोजना के आरंभ के पश्चात् अनुमानित परिणाम के अनुसार पी.एम.10, एस.ओ2, एवं एन.ओ.x सांद्रता के शुद्ध परिणाम (अधिकतम आधारभूत सांद्रता + अधिकतम सांद्रता में वृद्धिशील बढ़ोतरी) राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक से कम है। अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-2 /ofu Lrj ds dkj . k çHkkok dk vkidyu

प्रस्तावित परियोजना में शोर उत्पादन के प्रमुख स्रोत एस.टी.जी., बॉयलर, कंप्रेसर्स, डी.जी. सेट, इत्यादि होंगे। बॉयलर एवं एस.टी.जी. को के लिए ध्वनि एन्क्लोजर्स लगाये जायेंगे। परिवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कि अधिसूचना दि: 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल पर लगभग 15.4 एकड़ (6.23 हेक्ट.) भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना की ध्वनि के कारण आसपास की जनसंख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-3 ty i ; kbj .k ij çHkko

क्लोज्ड-सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाये जाने के कारण पैलेट प्लांट, डी.आर.आई. प्लांट, रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा। विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न निस्त्राव को छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानदण्डों को सुनिश्चित करते हुए उपचारित कर डस्ट सपरेषन, एष कंडिप्निंग तथा सिंचाई में उपयोग किया जावेगा। घरेलू दूषित जल का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जावेगा। परियोजना स्थल से दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा। शून्य निस्तारण की स्थिती बनाई रखी जावेगी। अतः प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-4 Hkwi ; kbj .k ij çHkko

उत्पन्न दूषित जल का उपचार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। शून्य निस्सारण संकल्प का पालन किया जावेगा। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही-सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 15.4 एकड़ (6.23 हेक्ट.) भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया गया है। अतः प्रस्तावित परियोजना के कारण भू-पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3-5 | kekftd & vkffkld çHkko

प्रस्तावित संयंत्र के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लागो को रोजगार अनेक अवसर बनेंगे। जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य मे क्षेत्र का विकास होगा।

4-0 i ; kbj .k vufo{k.k dk; Øe

परियोजना-उपरांत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; I ek?kkr fu/kkj . k fj i kVl dk
dk; i kyd I kj

i ; kbj . kh; i § kehVj ds fy, fuxjkuh dk; Øe

Ø- fooj . k	vuph{k.k vkofr	ueius yus fd vof/k	i § kehVj
1-ty rFkk fuL=ko fd xq koRrk			
a.	जल गुणवत्ता	3 माह में एक बार	समग्र नमूनाकरण (24 घण्टे)
b.	ई.टी.पी. के आउटलेट पर प्रभाव	माह में 1 बार	ग्रैब नमूने (24 घण्टे)
c.	घरेलू दूषित जल	माह में 2 बार	ग्रैब नमूने (24 घण्टे)
2- ok; q xq oRrk			
a.	स्टैक	ऑन-लाइन (डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं एफ.बी. सी. बॉयलर स्टैक) माह में 1 बार	पी.एम. पी.एम., एस.ओ2, एन.ओ. ग
b.	परवेषीय वायु गुणवत्ता (CAAQMS)	माह में 1 बार	माह में 1 बार
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	3 माह में एक बार	8 घण्टे में एकबार
3- e ⁹ fe; dkj d			
a.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार
तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा			
4- 'kksj eki u			
a.	शोर मापन	3 माह में एक बार	1 घण्टे के अंतराल के साथ 24 घण्टे लगातार
ध्वनि स्तर			

5-0 vU; v/ ; ; u

प्रस्तावित परियोजना के कारण किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

6-0 i fj ; kst uk ds ykHk

प्रस्तावित परियोजना से निर्माण तथा संचालन के कारण रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रस्तावित परियोजना के कारण सामाजिक-आर्थिक स्थिती पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य में क्षेत्र के लागो का विकास होगा। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी।

7-0 i ; kbj . k çca/ku ds mi k;

7-1 ok; q i ; kbj . k

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय अपनाये जावेगे।

Øñ	fooj . k		fu; æ . k mi dj . k	vkmVysV mRI tU
1.	आयरन ओर पैलेट प्लांट	=	इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर (ई.एस.पी.)	पीएम < 30 मि.ग्रा./घन
2.	स्पंज आयरन उत्पादन इकाई	=	इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर (ई.एस.पी.)	पीएम < 30 मि.ग्रा./घन
3.	इण्डक्शन फर्नेस इकाई	=	बैग फिल्टर युक्त फ्यूम एक्सट्रैशन सिसटम	पीएम < 30 मि.ग्रा./घन
4.	रोलिंग मिल की री-हीटिंग फर्नेस	=	स्टैक	पीएम < 30 मि.ग्रा./घन
5.	सबमर्ज इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस	=	बैग फिल्टर युक्त फ्यूम एक्सट्रैशन सिसटम	पीएम < 30 मि.ग्रा./घन
6.	सी.एफ.बी.सी. बॉयलर	=	इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर (ई.एस.पी.)	पीएम < 30 मि.ग्रा./घन एस.ओ. _x < 100 मि.ग्रा./घन एन.ओ. _x < 100 मि.ग्रा./घन

UkV/%& उपरोक्त अपायो के अतिरिक्त बैग फिल्टर युक्त फ्यूम एक्सट्रैशन सिसटम, डस्ट सपरेशन प्रणाली तथा कनवेयर बैल्टो को ढंका जाना भी प्रस्तावित है।

प्रस्तावित इकाई में निम्न प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाया जावेगा:-

- फ्युजिटिव उत्सर्जन के रोकथाम हेतु सभी कन्वेयर बेल्ट जी.आई. शीट्स द्वारा पूर्णतः ढकें होंगे।
- डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु सभी बिन्स पूर्णतः ढकें होंगे।
- पदार्थ हथालन तंत्र एवं सम्भावित धूल उत्सर्जन बिंदुओं को डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
- सभी प्रवेश एवं निर्वगम द्वार जहाँ डस्ट उत्सर्जन की सम्भावना है को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

7-2 ty i ; kbj . k

- क्लोज्ड-सर्किट कूलिंग सिस्टम को अपनाये जाने के कारण पैलेट प्लांट, डी.आर.आई. प्लांट, रोलिंग मिल एवं इण्डक्शन फर्नेस द्वारा किसी प्रकार का दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा।
- विद्युत उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न निस्त्राव को छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा मानदण्डों को सुनिश्चित करते हुए उपचारित कर डस्ट सपरेषन, एष कंडिनिंग तथा सिंचाई में उपयोग किया जावेगा।
- घरेलू दूषित जल का उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जावेगा।
- परियोजना स्थल से दूषित जल का उत्सर्जन नहीं होगा।
- शून्य निस्तारण की स्थिती बनाई रखी जावेगी।

nf"kr ty mipkj | i k=

बॉयलर ब्लोडाउन का पी.एच. 9.5 से 10.5 के बीच होता है तथा डी.एम. प्लांट रिजनेरेशन का पी.एच. 4 से 10 के बीच होता है। अतः बॉयलर ब्लोडाउन एवं डी.एम. प्लांट रिजनेरेशन निस्त्राव को उपचारित करने हेतु न्यूट्रलाइजेशन टैंक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। न्यूट्रलाइजेशन के बाद इन दोनों धाराओं को सैन्ट्रल मॉनिटरिंग बेसिन में कूलिंग टावर ब्लोडाउन के साथ मिलाया जाता है। उपचारित निस्त्राव का पुर्नउपयोग एष कंडिनिंग, डस्टसप्रेसन तथा सिंचाई हेतु किया जाना प्रस्तावित है। सर्विस वॉटर को ऑइल सैपरेटर द्वारा उपचारित कर सैन्ट्रल मॉनिटरिंग बेसिन में लाया जावेगा। उपचारित निस्त्राव को एष कंडिनिंग, डस्टसप्रेसन तथा सिंचाई हेतु पुर्नउपयोग किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित निस्त्राव को परिसर के बाहर निस्तारित नहीं किया जावेगा। अतः शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

mi pkfj r fuL=ko dk vi ogu

परियोजना से उत्सर्जित निस्त्राव = 271 किलो लीटर/ दिन

एश कंडिशनिंग में उपयोग निस्त्राव की मात्रा = 85 किलो लीटर/ दिन

डस्ट सपरेशन में उपयोग निस्त्राव की मात्रा = 94 किलो लीटर/ दिन

सिंचाई में उपयोग निस्त्राव की मात्रा = 92 किलो लीटर/ दिन

परिसर में हरित पट्टिका का विकास 15.4 एकड़ (6.23 हेक्ट.) भूमि पर उपचारित निस्त्राव का उपयोग कर किया जावेगा। सिंचाई हेतु समर्पित पाइप लाइन नेटवर्क का विकास किया जावेगा।

7-3 /ofu i ; kbj . k

प्रस्तावित संयंत्र से ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत टर्बो जनरेटर, बॉयलर, कम्प्रेसर डी.जी. सैट एवं क्रशर इत्यादि हैं। ध्वनि उत्सर्जन स्रोतों के पास काम करने वाले कर्मचारियों को इयर प्लग्स प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। छतों, दिवारों एवं फर्ष के निर्माण में ध्वनि आवषोषक पदार्थों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

7-4 Hkw i ; kbj . k

प्रस्तावित संयंत्र से उत्सर्जित निस्त्राव को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के भू अपवहन मापदण्डानुरूप उपचारित कर डस्ट सपरेशन, एश कंडिशनिंग एवं सिंचाई हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही – सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। ठोस अपशिष्टों का निपटान मापदण्डानुसार किया जाने का प्रस्ताव है। विद्यमान इकाई में सघन वृक्षारोपण किया गया है जिसका अनुपालन प्रस्तावित संयंत्र में भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया जावेगा। अतः प्रस्तावित संयंत्र से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड

(प्रस्तावित मिनी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट)

ग्राम: छपका, तहसील: बस्तर जिला: छत्तीसगढ़
i ; kbj . kh; | ek?kkr fu/kkj . k fj i ksv dk
dk; i kyd | kj

Bkd vi f' k"Vka dk mRi knu , oa vi ogu 0; oLFkk

Øñ	Bkd vi f' k"V@ g mRoi kn	ek=k ¼Vhñi hñ, ñ½	vi ogu 0; oLFkk
1	पैलेट इकाई से उत्पन्न एष/ डस्ट	7200	प्रस्तावित ईट बनाने की इकाई में उपयोग किया जावेगा।
2	बिटुमिनस कोयले से उत्पन्न एष/ डस्ट	400	प्रस्तावित ईट बनाने की इकाई में उपयोग किया जावेगा।
3	डी.आर.आई.द्वारा डस्ट/ एष	60300	प्रस्तावित ईट बनाने की इकाई में उपयोग किया जावेगा।
4	डी.आर.आई. द्वारा डोलोचार	67000	सी.बी.सी. बॉयलर में ईंधन के रूप में
5	किल्न एक्रिएशन स्लैग	16750	सड़क बनाने हेतु प्रयुक्त तथा सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को दिया जावेगा।
6	वैट स्क़ॉपर स्लज	3350	सड़क बनाने हेतु प्रयुक्त तथा ईटा बनाने वाले को दिया जावेगा।
7	बैग फिल्टर युक्त फ्यूम एक्सट्रैशन सिसटम से उत्पन्न एष/ डस्ट	6200	ईटा बनाने वाले इकाई को दिया जावेगा।
8	स्टील मैल्टिंग शॉप स्लैग	30150	लोहे को निकाल कर सड़क बनाने हेतु तथा सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को दिया जावेगा।
9	रोलिंग मिल से उत्पन्न मिल स्केल	780	फैरो एलॉयज़ तथा पैलेट इकाईयों में पुर्नउपयोग।
10	रोलिंग मिल से उत्पन्न एण्ड कटिंग्स	9000	स्टील मैल्टिंग शॉप में पुर्नउपयोग।
11	सिलिको मैग्नीज़ उत्पादन से स्लैग	22000	सड़क निर्माण कार्य में उपयोग किया जावेगा/ स्लैग सिमेंट प्लांटों को दिया जावेगा।
12	फैरो मैग्नीज़ उत्पादन से स्लैग	22640	मैग्नीज़ ऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण फैरो मैग्नीज़ का उपयोग सिलिको मैग्नीज़ के उत्पादन में किया जावेगा।
13	पिग आयरन से स्लैग	19350	स्लैग सिमेंट प्लांटों को दिया जावेगा।
14	पवर प्लांट इकाई से उत्पन्न राखड़ (स्वदेशी कोयला एवं डोलोचार)	72860	प्रस्तावित ईट बनाने की इकाई में उपयोग किया जावेगा।

7-5 xhu c\$V

प्रस्तावित परिसर में 15.4 एकड़ (6.23 हेक्ट.) भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है। ग्रीनबैल्ट की प्रस्तावित चौड़ाई 10 मीटर से 76 मीटर होगी।

7-6 i ; kbj .k | g {k.k dh ykxr

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत = ₹ 23.5 करोड़ है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित आवर्ती लागत = ₹ 1.34 करोड़ है।

7-7 Ø\$ fl Qkfj kka dk dk; kb; u

सभी क्रैप सिफारिशों का कार्यावयन सख्ती से किया जावेगा।